



निगरानी 227-PBR-15  
प्र.क. आर.- PBR/14

प्रस्तुति दिनांक : 30/12/2014

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प इन्दौर म.प्र.

करमसिंह पिता भुवानसिंह जाति भीलाला

निवासी - ग्राम खरेली, तह. सरदारपुर जिला धार

हा.मु. - ग्राम धपड़ी तह. गंधवानी जिला धार

-- प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

श्री अजय शर्मा द्वारा  
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 30/12/2014  
को प्रस्तुत

1. गुलाब पिता थावरिया

निवासी - ग्राम रूपारेल, मजरा खरेली के पास,  
तह. सरदारपुर जिला धार

2. रामकुमार पिता मिश्रीलाल राठौड़

निवासी - ग्राम टाण्डा तह. कुक्षी जिला धार

-- प्रत्यर्थीगण

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

महोदय,


अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग  
इन्दौर द्वारा प्र.क. 70/निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक  
21.10.2014 से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा इस माननीय  
न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-227-पीबीआर / 14

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-5-2015	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21.10.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी लगभग 10 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, अतः विलम्ब क्षमा किया जाकर निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है ।</p> <p>2/ जहां तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा मुख्य रूप से निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि पर निरंतर अनावेदक क्रमांक 1 का कब्जा है, और वही कृषि कार्य कर रहा है । आवेदक द्वारा छल कपट पूर्वक अनावेदक क्रमांक 1 के विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया गया है । अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कृषि कार्य किये जाने की पुष्टि ग्राम वासियों द्वारा भी की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच उपरांत पारित आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 170(क)(ख) के अंतर्गत आवेदक के पक्ष हुए अंतरण को शून्य घोषित करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर द्वारा की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">   <b>(मनाज गोयल)</b>                      अध्यक्ष                 </p>	